# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटपूतली (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश आर्य
आर.ए.एस

अपील संख्या :–

1. राजेन्द्र पुत्र सांवलराम उम्र 53 वर्ष
2. चिरंजीलाल पुत्र सांवलराम उम्र 38 वर्ष
3. सुनिल पु सांवलराम उम्र 29 वर्ष
4. मन्नी देवी पत्नी सांवलराम उम्र 63 वर्ष
5. विमला पुत्र सांवलराम उम्र 39 वर्ष
   समस्त निवासी मकान नम्बर 379–सी बंगला अस्पताल चांदूवाडा कस्बा नारनौल जिला महेन्द्रगढ (हरियाणा)
6. कृष्णा देवी पत्नी बृजसिंह (पुत्री रामबाई पुत्री सोनाराम) उम्र 56 साल निवासी वार्ड नम्बर 02 मौहल्ला खटीकान् बावल जिला रेवाडी (हरियाणा)
7. गोपालदास पुत्र राधा देवी उम्र 52 वर्ष
8. प्रवीण कुमार पुत्र राधा देवी उम्र 44 वर्ष
9. प्रवीण कुमार पुत्र राधा देवी उम्र 57 वर्ष
10. गोविन्द सैनी पुत्र राधा देवी उम्र 48 वर्ष
11. अनिल सैनी पुत्र राधा देवी उम्र 46 वर्ष
12. अन्जूला देवी पत्नी दलिप पुत्र राधा देवी उम्र 50 वर्ष
13. नितिश कुमार पुत्र दलिप उम्र 25 वर्ष
14. अन्शीका पुत्री दलीप उम्र 22 वर्ष
    समस्त निवासी होली चोहा मौहल्ला जटवाडा वार्ड नं. 07 बावल (हरियाणा)

अपीलान्टस्

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र प्रभूदयाल माली
2. रमेशचन्द पुत्र प्रभूदयाल माली
   समस्त निवासी चांदूवाडा कस्बा नारनौल जिला महेन्द्रगढ (हरि0)
3. तहसीलदार (भू.अ.) तहसील कोटपूतली
4. सब रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार कार्यालय कोटपूतली
5. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश महोदय जयपुर

रेस्पोडेन्ट

**अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 3921 ग्राम बूचाहेडा तस्दीक द्वारा तहसीलदार कोटपूतली ता फैसला दिनांक 26/02/2021**

निर्णय दिनांक 19-1-2022

अपीलान्ट द्वारा नामान्तरकरण संख्या 3921 वाके ग्राम बूचाहेडा तस्दीक द्वारा तहसीलदार कोटपूतली से व्यथित होकर जरिये वकील अपील निम्नभांति पेश की है जिसमें वर्णित तथ्य निम्नभांति पेश हैं :–

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

1. यह है कि आराजी ख.नं. 65/0.32, 67/0.25–0.09, 68/0.24–0.08 एवं 69/0.01 कुल रकबा 0.9900 कुल किता 4 वाके ग्राम बूचाहेडा पटवार मण्डल बूचाहेडा कोटपूतली स्थित है, जिसके आगे चलकर मुतदाविया के नाम से सम्बोधित किया है।
2. यह है कि उपरोक्त भूमि मुतदाविया में रामबाई पुत्री सोनाराम जाति माली का हिस्सा 1/15 है वह 1/15 हिस्से की खातेदारी काश्तकार थी, जिसकी मृत्यु 9/7/13 को हो चुकी है, जिनके वारिसान् सांवलराम, बाबूलाल, रमेश पुत्रान् हैं तथा कृष्णा, राधा पुत्रियान् हैं। पुत्र सांवलराम की मृत्यु हो चुकी है, जिनके वारिसान् अपीलान्ट संख्या 01 लगायत 05 है तथा रामबाई की पुत्री राधा फौत हो चुकी है, जिनके वारिसान् अपीलान्ट संख्या 07 लगायत 14 हैं।
3. यह है कि रामबाई की मृत्यु के पश्चात् 05 वारिसान् है जो उनके फुट स्टेप में उनकी चल/अचल सम्पत्ति पर काबिज अधिकार है। भूमि मुतदाविया के बराबर–बराबर हिस्से के खातेदार काश्तकार है तद्नुसार प्रत्येक वारिसान् का 1/75–1/75 के हिस्से के खातेदार काश्तकार है अर्थात अप्रीलार्थी संख्या 1 लगायत 5 का हिस्सा 1/75 अपीलार्थी संख्या 6 का हिस्सा 1/75 एवं अपीलार्थी संख्या 7 लगायत 14 का हिस्सा 1/75 तथा रेस्पोडन्ट संख्या 1 का हिस्सा 1/75 रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का हिस्सा 1/75 के खातेदार काश्तकार है।
4. यह है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने मृत्क रामबाई के वारिसान् की मिथ्या सूचना देकर अपीलार्थी नामों को छुपाकर गलत रिपोर्ट बनाकर केवल अपने आपको ही वारिसान् बताया। गलत रिपोर्ट सूचना के आधार पर मिथ्या नामा.सं. 3921 खुलवाया है जो अवैध है, जो निरस्तनीय है और शुद्वि करवाये जाने के आदेश है।
5. यह है कि तहसीलदार का निर्णय विधि विरूद्व एवं न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्तों के विपरीत हेने के कारण दुरूस्त किये जाने योग्य है।
6. यह है कि तहसीलदार द्वारा उक्त नामा. दर्ज करने से पूर्व रामबाई के सभी वारिसान् की जांच नहीं की एवं अपीलान्टस् को सूचित किये बिना उक्त नामा. को दर्ज करने की भारी भूल की है।
7. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नामा. दर्ज करने से पूर्व न तो अपीलान्ट को सूचित किया गया एवं अपीलान्ट की अनुपस्थिति में उक्त नामा. विधि विरूद्व जाकर अकेले रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 2 के हक में दर्ज करने की भारी भूल की है।
8. यह है कि अपीलान्ट को उक्त नामा. की जानकारी दिनांक 26/10/2021 को पटवारी हल्का से हाल जमाबंदी की नकल लेने से हुयी जिस पर अपीलान्ट ने बिना देरी किये दिनांक 29/10/2021 को उक्त नामा. की नकल पटवारी हल्का से प्राप्त कर श्रीमान् के समक्ष अपील मय दफा–5 प्रार्थना–पत्र जानकारी से अन्दर मियाद पेश है।
9. यह है कि अपील में मान्य न्यायालय को श्रवणाधिकार प्राप्त है तथा प्रस्तुत अपील कोर्ट फीस पर पेश है। अतः अपील मय दफा–5 मियाद अधिनियम प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमायी जाकर नामा.सं. 3921 ग्राम बूचाहेडा द्वारा तहसीलदार कोटपूतली निर्णय दिनांक 26/02/2021 खारिज किया जाकर रामबाई के

अति. जिला कलेक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

सभी वारिसान् अपीलान्टस व रेस्पोडेन्टस संख्या 1 लगायत 2 के नाम जिम्मन संख्या 3 मे वर्णित हिस्से अनुसार नामा. दर्ज करने के आदेश प्रदान करें।

10. अपीलान्ट द्वारा जरिये वकील अपील पेश होने पर रिपोर्ट सरिश्ता करायी गयी। रिपोर्ट समायत पायी जाने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेनट की तल्बी एवं सूचना हेतु निम्नानुसार सम्मन नोटिस जरिये रजिस्टर्ड जारी किये गये डाक डिलीवर्स/सूचना होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं आये इसलिए उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

11. बहस वकील अपीलान्ट सुनी गयी। वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये अभिकथन किया कि आराजी ख.नं. 65, 67, 68, 69 वाके ग्राम बूचाहेडा तहसील कोटपूतली में स्थित है, जिसमें रामबाई पुत्री सोनाराम जाति माली का हिस्सा 1/15 है वह 1/15 हिस्से की खातेदार काश्तकार थी। रामबाई पुत्री सोनाराम की मृत्यु दिनांक 9/7/2013 को हो चुकी हे जिनके तीन पुत्र सावलराम बाबूलाल रमेश हुये तथा दो पुत्रिया कृष्णा राधा हुयी एक पुत्र सावलराम की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिसान् अपीलान्ट संख्या 1 लगायत 5 है तथा एक पुत्री राधा फौत हो चुकी है, जिसके वारिसान् अपीलान्ट संख्या 7 लगायत 14 है। रामबाई की मृत्यु पश्चात् उनके पांच वारिसान जो उनके फुट स्टेप में उनकी चल/अचल सम्पत्ति पर काबिज अधिकार है। तद्नुसार प्रत्येक वारिसान का 1/75–1/75 के हिस्से के खातेदार काश्तकार है अर्थात अपीलार्थी संख्या 1 लगायत 5 का हिस्सा 1/75 अपीलार्थी संख्या 6 का हिस्सा 1/75 एवं अपीलार्थी संख्या 7 लगायत 14 का हिस्सा 1/75 तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का हिस्सा 1/75 रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का हिस्सा 1/75 के खातेदार काश्तकार है किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने मृत्का रामबाई के वारिसान की गलत सूचना देकर अपीलार्थी वारिसान को छिपाकर केवल अपने आपको ही वारिसान बताकर नामा.सं. 3921 खुलवा लिया जो अवैध है तथा निरस्त किये जाने योग्य है। तहसीलदार कोटपूतली द्वारा उक्त नामा. 3921 को स्वीकार करने से पूर्व सभी वारिसान को सुनवायी का अवसर प्रदान नहीं किया ना ही सभी वारिसान की जांच की गयी इसलिए तहसीलदार द्वारा नामा. बाबत उक्त निर्णय पारित किया है वह न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्तों के विपरीत है। अपीलान्टस् की अनुपस्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के हक में उक्त नामा. स्वीकार किया है जो चलने योग्य नहीं है जबकि तहसीलदार को मृत्क रामबाई के सभी वारिसान् की जांच कर उन्हें सुनवायी का अवसर प्रदान किया जाकर उक्त निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। इसलिए उक्त नामा. को खारिज किया जाकर मृत्क रामबाई के सभी वारिसान् अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के हिस्से अनुसार नामा. दर्ज करने के आदेश प्रदान करें तथा अपीलान्टस् की अपील स्वीकार फरमावें।

चूँकि पत्रावली के अवलोकन करने से अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली द्वारा ग्राम बूचाहेडा के नामा.सं. 3921 दिनांक 26/2/2021 को स्वीकार किया जाना पाया गया। मृत्क रामबाई पुत्री सोनाराम की विरासत का नामा. खोलते समय रेस्पोडेन्ट

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

संख्या 1 बाबूलाल व रेस्पोडेट संख्या 2 रमेशचन्द के नाम उक्त नामा. तहसीलदार कोटपूतली द्वारा स्वीकार किया है जबकि उनके अलावा अपीलान्टसभी मृत्क रामबाई पुत्री सोनाराम के विधिक वारिसान हैं। तहसीलदार कोटपूतली द्वारा मृत्क रामबाइ के सभी वारिसान की जांच किये बिना एवं सुनवायी का अवसर प्रदान किये बिना केवल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम उक्त नामा. 3921 दिनांक 26/2/2021 को स्वीकार किया है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्तों के विपरीत है। अपीलान्टस् की अनुपस्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के हक में उक्त नामा. स्वीकार किया है जो चलने योग्य नहीं है तथा अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर उक्त नामा. को खारिज किया जाना उचित एवं न्याय संगत प्रतीत होता है एवं प्रकरण को तहसीलदार कोटपूतली को प्रति प्रेषित (रिमाण्ड) किया जाना उचित एवं न्याय संगत है।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा नामा सं. 3921 वाके ग्राम बूचाहेडा तहसील कोटपूतली स्वीकार द्वारा तहसीलदार कोटपूतली दिनांक 26/02/2021 को अपास्त किया जाकर तहसीलदार कोटपूतली को प्रकरण प्रति प्रेषित (रिमाण्ड) कर आदेश दिये जाते है कि मृत्क रामबाई पुत्री सोनाराम जाति माली के सभी विधिक वारिसान् अपीलान्टस् व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम उनके हिस्से अनुसार भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें।

13. निर्णय आज दिनांक 19-1-22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली। (जयपुर)